बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या–1/विकास–यो0–231/2024 – 1778 सी0/CC   पटना, दिनांक– 27 जून, 2025

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय : **राज्य योजना अंतर्गत "गन्ना यंत्रिकरण योजना" के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 1000.00 लाख रू0 (दस करोड़ रूपये मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा राज्य योजनांतर्गत " **गन्ना यंत्रिकरण योजना** " के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 1000.00 लाख रू0 (दस करोड़ रूपये) मात्र रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

(2) गन्ना एक प्रमुख नगदी फसल है। गन्ना फसल के विकास के फलस्वरूप किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अधीन गन्ना का प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु गन्ना की खेती में आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाना आवश्यक है। आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से गन्ना बीज का उपचार किया जा सकता है। कृषि यंत्रों की मदद से वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित दूरी पर गन्ना बीज को खेत में लगाया जा सकता है। कीट व्याधि एवं खर–पतवार के नियंत्रण के लिए आधुनिक यंत्र का उपयोग आवश्यक है। इस योजना के अधीन गन्ना की खेती में आधुनिक यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए खेत की तैयारी से लेकर गन्ना के कटाई तक के यंत्र पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इन्हीं आवश्यकताओं के दृष्टिगत् इस योजना को स्वीकृत किया जाता है।

(3) योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–1, 1(A), 1 (B), 1(C)** तथा यंत्रवार अनुदान दर की विवरणी **परिशिष्ट–2** के रूप में संलग्न है।

(4) योजना का कार्यान्वयन सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा किया जाएगा। इस योजनांतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी। संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा योजना का कार्यान्वयन केन केयर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन की समय सीमा 31 मार्च, 2026 तक होगा।

(5) इस योजनांतर्गत सूचीबद्ध यंत्र निर्माताओं को अनुदान की राशि का भुगतान सीधे CFMS के माध्यम से किया जाएगा। संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा राशि की निकासी कर अपने पदनाम/नाम से खोले गए सरकारी या व्यक्तिगत बैंक खाते में राशि का संधारण नहीं किया जाएगा। योजनांतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत राशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास पूर्णतः जवाबदेह होंगे।

(6) उप निदेशक, ईख विकास एवं संयुक्त निदेशक, ईख विकास समय–समय पर योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। सहायक निदेशक, ईख विकास, योजना के शत प्रतिशत जांच एवं धरातलीय क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगें। सहायक निदेशक एवं उप निदेशक, ईख विकास भ्रमण एवं समीक्षा के दौरान पाये जाने वाले त्रुटि को तत्काल संयुक्त निदेशक/ईखायुक्त को प्रतिवेदित करेगें। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली ईख विकास की सभी योजनाओं का समीक्षा समय–समय

27/6/2025

PDF Scanner ACE Scanner

पर किया जा सकेगा। जिला में आयोजित कृषि टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक में भी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

(7) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा और योजना क्रियान्वयन की जवाबदेही ईखायुक्त, बिहार की होगी। क्षेत्रीय स्तर पर उप निदेशक, ईख विकास अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्ण रूप से जवाबदेह होगें।

(8) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रम सं0	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (लाख रू0)	निकासी हेतु स्वीकृत राशि/विकलनीय राशि (लाख रू0)
1.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00– लघु शीर्ष– 108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या–45 उप शीर्ष– 0109 ईख विकास विपत्र कोड– 45–2401001080109	विषय शीर्ष– 33 01 सब्सिडी	4705.63	827.00
2.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00 लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग संख्या–45–उपशीर्ष–0108–ईख विकास विपत्र कोड संख्या–45–2401007890108	विषय शीर्ष– 33 01 सब्सिडी	910.40	160.00
3.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00 लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग संख्या–45–उपशीर्ष–0129–ईख विकास विपत्र कोड संख्या–45–2401007960129	विषय शीर्ष– 33 01 सब्सिडी	73.97	13.00
	योग–		**5690.00**	**1000.00**

(9). योजना कार्यान्वयन हेतु विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश **परिशिष्ट–3** के रूप में संलग्न है। प्रशासी विभाग द्वारा आवश्यकता होने पर कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा। योजनाओं में शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय लक्ष्य के अधीन योजनाओं के भौतिक लक्ष्य में अंतर परिवर्तन किया जा सकेगा। इस योजनांतर्गत अवयववार वित्तीय लक्ष्य के अंतर्गत ही भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी। समूह अंतर्गत निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत आवेदन के आलोक में संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को राशि उप आवंटित की जाएगी।

(10). इस योजनांतर्गत किसानों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया Cane Care Portal / https://sugarcanemech.bihar.gov.in के माध्यम से किया जायेगा। सॉफ्टवेयर में निहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888/वि० दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–2 (क) के आलोक में माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार का अनुमोदन संचिका सं0–01/विकास– यो0–231/2025 के पृष्ठ सं0–17/टि॰ पर प्राप्त है।

(12) स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–01/विकास–यो0–231/25 के पृष्ठ सं0–17/टि॰ पर प्राप्त है।

(13) वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक–यथोक्तः

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

PDF Scanner ACE Scanner

ज्ञाप संख्या–01 / विकास–यो0–231 / 2025– 1778 ई0/CC पटना, दिनांक– 27 जून, 2025

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज / बेतिया / मोतीहारी / सीतामढ़ी / सिवान / समस्तीपुर / भागलपुर / पूर्णियाँ / गया (गयाजी) / दरभंगा / भोजपुर / जमुई / मुजफ्फरपुर / सहरसा / पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/6/2025

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01 / विकास–यो0–231 / 2025– 1778 ई0/CC पटना, दिनांक– 27 जून, 2025

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग / संयुक्त निदेशक, ईख विकास / संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना / विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग / उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार / विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार / उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना / सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक / महाप्रबंधक / कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल / महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल / सचिव, बिस्मा / संबंधित के॰भी॰के॰ / राज्य के कृषि विश्वविघालय / सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी / SIO, NIC, Patna / वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/6/2025

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01 / विकास–यो0–231 / 2025– 1778 ई0/CC पटना, दिनांक– 27 जून, 2025

प्रतिलिपि– सभी जिलाधिकारी / निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ–क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर / निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा / सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/6/2025

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01 / विकास–यो0–231 / 2025– 1778 ई0/CC पटना, दिनांक– 27 जून, 2025

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव / ईखायुक्त, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27/6/2025

ईखायुक्त, बिहार।

PDF Scanner ACE Scanner

परिशिष्ट–1

वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु गन्ना यंत्रिकरण योजना के तहत यंत्रवार/कोटिवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	यंत्र का प्रकार	यंत्र का नाम	भौतिक लक्ष्य					वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)				
			GEN	EBC	SC	ST	TOTAL	GEN	EBC	SC	ST	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	(A). Land Preparation Tools/Implements/Machinery	Mini Tractor 4 WD (upto 20-30 PTO HP)	12	4	4	0	20	30.00000	12.00000	12.00000	0.00000	54.00000
2		Power Tiller 2 WD (above 11 BHP)	12	5	3	0	20	14.40000	7.20000	4.32000	0.00000	25.92000
3		Reversible MB Plough (Semi-Automatic)/Hydraulic (2-4 Tyne)	12	4	3	1	20	6.00000	2.40000	1.80000	0.60000	10.80000
4		Reversible MB Plough (Fully Automatic)/Hydraulic (2-4 Tyne)	12	5	3	0	20	9.90000	4.95000	2.97000	0.00000	17.82000
5		Disk Harrow (12-20 Disc)	65	18	16	1	100	19.50000	6.48000	5.76000	0.36000	32.10000
6		Hydraulic Disk Harrow (12-16 Disc)	32	9	8	1	50	12.80000	4.32000	3.84000	0.48000	21.44000
7		Land Leveller	32	9	8	1	50	2.56000	0.90000	0.80000	0.10000	4.36000
8		Laser Leveller	12	4	4	0	20	24.00000	9.60000	9.60000	0.00000	43.20000
9		Tractor Operated Rotavator(up to 4 feet)	32	9	8	1	50	22.40000	7.56000	6.72000	0.84000	37.52000
10		Power Harrow	12	4	3	1	20	12.00000	4.80000	3.60000	1.20000	21.60000
11		Chisel (Two Tyne)	32	9	8	1	50	5.60000	1.89000	1.68000	0.21000	9.38000
		Total	**265**	**80**	**68**	**7**	**420**	**159.16000**	**62.10000**	**53.09000**	**3.79000**	**278.14000**
12	(B). Planting Tools/Implements/Machinery	Tractor Mounted Ridger	32	8	8	1	49	4.80000	1.44000	1.44000	0.18000	7.86000
13		Trench Planter	32	9	8	0	49	4.80000	1.62000	1.44000	0.00000	7.86000
14		Double Pit Digger	32	9	8	1	50	23.36000	7.83000	6.96000	0.87000	39.02000
15		Sugarcane Cutter Planter (Two Row)	19	5	5	0	29	26.60000	8.40000	8.40000	0.00000	43.40000
16		Sugarcane Detrasher	32	12	9	3	56	0.08000	0.03600	0.02700	0.00900	0.15200
17		Single Bud Cutter Manual	27	9	9	3	48	0.40500	0.16200	0.16200	0.05400	0.78300
18		Single Bud Cutter Power Operated	32	9	8	2	51	8.00000	2.70000	2.40000	0.60000	13.70000
19		Tractor Operated Rota Ridger	32	9	8	1	50	32.00000	10.80000	9.60000	1.20000	53.60000
20		Sugarcane Bud Chipper	35	9	10	1	55	0.52500	0.16200	0.18000	0.01800	0.88500
21		Ratoon Management Device with Stubble Shaver & Fertilizer	32	9	10	0	51	40.00000	13.50000	15.00000	0.00000	68.50000
22		Sett Treatment Device	32	9	8	1	50	24.00100	8.10000	7.20100	0.89900	40.20100
23		Sugarcane Settling Planter (Two Row)	32	9	10	1	52	10.56000	3.60000	4.00000	0.40000	18.56000
		Total	**369**	**106**	**101**	**14**	**590**	**175.13100**	**58.35000**	**56.81000**	**4.23000**	**294.52100**
24	(C). Inter-culturing Tools/Implements/Machinery	Power Weeder (engine operated 7.5 BHP and above)	71	20	18	1	110	60.35000	20.40000	18.36000	1.02000	100.13000
25		Sugarcane Inter-culturing Cultivator (5-15 Tyne)	65	18	16	1	100	9.75000	3.24000	2.88000	0.18000	16.05000
26		Earthing up with fertilizer unit Ridger	32	9	8	1	50	12.80000	4.32000	3.84000	0.48000	21.44000
27		Sugarcane Stubble Shaver	32	9	8	1	50	12.80000	4.32000	3.84000	0.48000	21.44000
		Total	**200**	**56**	**50**	**4**	**310**	**95.70000**	**32.28000**	**28.92000**	**2.16000**	**159.06000**

PDF Scanner ACE Scanner

क्र0 सं0	यंत्र का प्रकार	यंत्र का नाम	भौतिक लक्ष्य					वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)				
			GEN	EBC	SC	ST	TOTAL	GEN	EBC	SC	ST	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	(D). Plant Protection Equipment's	Tractor Mounted Sprayers (Hydraulic)	39	11	9	1	60	18.72000	6.27000	5.13000	0.57000	30.69000
29		Tractor Mounted Sprayers (with wheel)	39	11	9	1	60	39.00000	13.20000	10.80000	1.20000	64.20000
30		HTP Power Sprayer with Tank & Delivery Pipe	31	9	9	1	50	7.75000	2.70000	2.70000	0.30000	13.45000
Total			**109**	**31**	**27**	**3**	**170**	**65.47000**	**22.17000**	**18.63000**	**2.07000**	**108.34000**
31	(F). Residue Control	Sugarcane Thrash Shredder	6	2	1	0	9	9.00000	3.60000	1.80000	0.00000	14.40000
32		Shalsher	6	2	1	1	10	2.25000	0.90000	0.45000	0.45000	4.05000
33		Sugarcane Thrash Cutter	6	2	1	1	10	1.50000	0.60000	0.30000	0.30000	2.70000
Total			**18**	**6**	**3**	**2**	**29**	**12.75000**	**5.10000**	**2.55000**	**0.75000**	**21.15000**
Total (1 to 33)			**961**	**279**	**249**	**30**	**1519**	**508.21100**	**180.00000**	**160.00000**	**13.00000**	**861.21100**
2.1	गन्ना यंत्र बैंक की स्थापना हेतु गन्ना कृषक समूह (न्यूनतम 05 किसान) अनुदान का दर मूल्य का 70 प्रतिशत अधिकतम 12.663 लाख रू0 प्रति केन्द्र		1	0	0	0	1	12.66300	0.00000	0.00000	0.00000	12.66300
2.2	गन्ना यंत्र बैंक की स्थापना हेतु गन्ना कृषक समूह (न्यूनतम 05 किसान) अनुदान का दर मूल्य का 70 प्रतिशत अधिकतम 28.763 लाख रू0 प्रति केन्द्र		1	0	0	0	1	28.76300	0.00000	0.00000	0.00000	28.76300
2.3	गन्ना यंत्र बैंक की स्थापना हेतु गन्ना कृषक समूह (न्यूनतम 05 किसान) अनुदान का दर मूल्य का 80 प्रतिशत अधिकतम 97.363 लाख रू0 प्रति केन्द्र		1	0	0	0	1	97.36300	0.00000	0.00000	0.00000	97.36300
Total (2.1 to 2.3)								**138.78900**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**138.78900**
Grand Total								**647.00000**	**180.00000**	**160.00000**	**13.00000**	**1000.00000**

ईखायुक्त, बिहार।

PDF Scanner ACE Scanner

परिशिष्ट–1 (A)

List of Equipments for establishment of Sugarcane Equipment Bank

Group 1

Sl No	**Name of Equipment**	**Number**	**Estimated Cost Per Unit (in RS)**	**Total Cost (in RS)**
1	Reversible MB Plough (Semi-Automatic)/ Hydraulic (2-4 Tyne)	1	100000	100000
2	Cultivator (9 tine)	1	50000	50000
3	Ratoon Management Device with Stubble Shaver & Fertilizer	1	250000	250000
4	Sett Treatment Device	1	150000	150000
5	Sugarcane Cutter Planter (Two Row)	1	280000	280000
6	Engine Operated Power Sprayer	2	20000	40000
7	Tractor Mounted Sprayers (with wheel)	2	200000	400000
8	Tractor Operated Riger/Ring Pit Digger/ Trench Opener	2	30000	60000
9	Single Bud Cutter (Power Operated)	1	50000	50000
10	Disk Harrow (12-20 Disk)	1	60000	60000
11	Tractor Trolly (Hydraulic)	1	199000	199000
12	Power Weeder (engine operated 7.5 BHP and above)	1	170000	170000
	Total			**1809000**
			70%	**1266300**

28/6/2021

ईखायुक्त, बिहार।

PDF Scanner ACE Scanner

परिशिष्ट–1 (B)

List of Equipments for establishment of Sugarcane Equipment Bank

Group 1

Sl No	Name of Equipment	Number	Estimated Cost Per Unit (in RS)	Total Cost (in RS)
1	Reversible MB Plough (Semi-Automatic)/ Hydraulic (2-4 Tyne)	1	100000	100000
2	Cultivator (9 tine)	1	50000	50000
3	Ratoon Management Device with Stubble Shaver & Fertilizer	1	250000	250000
4	Sett Treatment Device	1	150000	150000
5	Sugarcane Cutter Planter (Two Row)	1	280000	280000
6	Engine Operated Power Sprayer	2	20000	40000
7	Tractor Mounted Sprayers (with wheel)	2	200000	400000
8	Tractor Operated Riger/Ring Pit Digger/ Trench Opener	2	30000	60000
9	Single Bud Cutter (Power Operated)	1	50000	50000
10	Disk Harrow (12-20 Disk)	1	60000	60000
11	Tractor Trolly (Hydraulic)	1	199000	199000
12	Power Weeder (engine operated 7.5 BHP and above)	1	170000	170000
13	Tractor Mounted Sugarcane Harvester	1	1250000	1250000
14	Tractor with Land Laser Leveller	1	1050000	1050000
Total				**4109000**
			70%	**2876300**

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–1 (C)

List of Equipments for establishment of Sugarcane Equipment Bank

Group 1

Sl No	Name of Equipment	Number	Estimated Cost Per Unit (in RS)	Total Cost (in RS)
1	Reversible MB Plough (Semi-Automatic)/ Hydraulic (2-4 Tyne)	1	100000	100000
2	Cultivator (9 tine)	1	50000	50000
3	Ratoon Management Device with Stubble Shaver & Fertilizer	1	250000	250000
4	Sett Treatment Device	1	150000	150000
5	Sugarcane Cutter Planter (Two Row)	1	280000	280000
6	Engine Operated Power Sprayer	2	20000	40000
7	Tractor Mounted Sprayers (with wheel)	2	200000	400000
8	Tractor Operated Riger/Ring Pit Digger/ Trench Opener	2	30000	60000
9	Single Bud Cutter (Power Operated)	1	50000	50000
10	Disk Harrow (12-20 Disk)	1	60000	60000
11	Tractor Trolly (Hydraulic)	1	199000	199000
12	Power Weeder (engine operated 7.5 BHP and above)	1	170000	170000
13	Tractor Mounted Sugarcane Harvester	1	1250000	1250000
14	Tractor with Land Laser Leveller	1	1050000	1050000
15	Sugarcane Harvester (Automatic)	1	9800000	9800000
Total				**13909000**
			70%	**9736300**

ईखायुक्त, बिहार।

S.N.	Type of Agricultural Machinery	For General Beneficiary		For SC, ST & EBC Beneficiary	
		Maximum Permissible Subsidy per Machine/ Equipment per Beneficiary (In Lakh)	Pattern of Assistance	Maximum Permissible Subsidy per Machine/ Equipment per Beneficiary (In Lakh)	Pattern of Assistance
A.	**Land Preparation Tools/Implements/Machinery**				
1	Mini Tractor 4 WD (upto 20-30 PTO HP)	2.50	50%	3.00	60%
2	Power Tiller 2 WD (above 11 BHP)	1.20	50%	1.44	60%
3	Reversible MB Plough (Semi-Automatic)/Hydraulic (2-4 Tyne)	0.50	50%	0.60	60%
4	Reversible MB Plough (Fully Automatic)/Hydraulic (2-4 Tyne)	0.825	50%	0.99	60%
5	Disk Harrow (12-20 Disc)	0.30	50%	0.36	60%
6	Hydraulic Disk Harrow (12-16 Disc)	0.40	50%	0.48	60%
7	Land Leveller	0.08	50%	0.10	60%
8	Laser Leveller	2.00	50%	2.40	60%
9	Tractor Operated Rotavator(up to 4 feet)	0.70	50%	0.84	60%
10	Power Harrow	1.00	50%	1.20	60%
11	Chisel (Two Tyne)	0.175	50%	0.21	60%
B.	**Planting Tools/Implements/Machinery**				
12	Tractor Mounted Ridger	0.15	50%	0.18	60%
13	Trench Planter	0.15	50%	0.18	60%
14	Double Pit Digger	0.73	50%	0.87	60%
15	Sugarcane Cutter Planter (Two Row)	1.40	50%	1.68	60%
16	Sugarcane Detrasher	RS 250/-	50%	Rs 300/-	60%
17	Single Bud Cutter Manual	RS 1500/-	50%	RS 1800/-	60%
18	Single Bud Cutter Power Operated	0.25	50%	0.30	60%
19	Tractor Operated Rota Ridger	1.00	50%	1.20	60%
20	Sugarcane Bud Chipper	RS 1500/-	50%	RS 1800/-	60%
21	Ratoon Management Device with Stubble Shaver & Fertilizer	1.25	50%	1.50	60%
22	Sett Treatment Device	0.75	50%	0.90	60%
23	Sugarcane Settling Planter (Two Row)	0.33	50%	0.40	60%
C.	**Inter-culturing Tools/Implements/Machinery**				
24	Power Weeder (engine operated 7.5 BHP and above)	0.85	50%	1.02	60%
25	Sugarcane Inter-culturing Cultivator (5-15 Tyne)	0.15	50%	0.18	60%
26	Earthing up with fertilizer unit Ridger	0.40	50%	0.48	60%
27	Sugarcane Stubble Shaver	0.40	50%	0.48	60%
D.	**Plant Protection Equipment's**				
28	Tractor Mounted Sprayers (Hydraulic)	0.48	50%	0.57	60%
29	Tractor Mounted Sprayers (with wheel)	1.00	50%	1.20	60%
30	HTP Power Sprayer with Tank & Delivery Pipe	0.25	50%	0.30	60%
F.	**Residue Control**				
31	Sugarcane Thrash Shredder	1.50	50%	1.80	60%
32	Shalsher	0.375	50%	0.45	60%
33	Sugarcane Thrash Cutter	0.25	50%	0.30	60%

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–'3'

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनांतर्गत " गन्ना यंत्रिकरण योजना " के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश।

1. योजना का उद्देश्य–

1.1 किसानों द्वारा किये जा रहे गन्ना की खेती का लागत कम होगा तथा उनके शुद्ध आय में वृद्धि होगी।

1.2 गन्ना खेती का यांत्रिकरण होने के फलस्वरूप गन्ना खेती की शष्य क्रियायें ससमय सम्पन्न होगा, जिसके कारण उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इसके फलस्वरूप चीनी रिकवरी प्रतिशत में भी वृद्धि होगी।

1.3 इस योजना के कार्यान्वयन से गन्ना के उत्पादन में वृद्धि एवं क्षेत्र विस्तार होगा। जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ने की आपूर्ति हो सकेगी।

1.4 इस योजनांतर्गत कस्टम हायरिंग के तहत यंत्र बैंक की स्थापना से गन्ना के छोटे–छोटे किसानों को शष्य क्रियायें हेतु उचित मूल्य पर यंत्र की उपलब्धता हो सकेगी।

2. योजना के अधीन पात्रता–

(i) व्यक्तिगत् किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगें।

(ii) एक किसान को **अधिकतम तीन** कृषि यंत्र पर अनुदान देय होगा।

(iii) व्यक्तिगत किसान/समूह को जिस यंत्र/यंत्र समूह पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुदान प्राप्त होगा, उस यंत्र/यंत्र समूह पर अगले 03 वित्तीय वर्षो तक अनुदान देय नहीं होगा। लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिए गए यंत्रों के अतिरिक्त अन्य यंत्रों/समूह का लाभ अगले वर्ष ले सकते हैं।

(iv) **यंत्र बैंक** की स्थापना के लिए गुड़ उद्यमी *(बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम अंतर्गत आच्छादित)*/चीनी मिल/पैक्स/जीविका समूह/आत्मा से पंजीकृत किसान समूह/फार्मर प्रोडयुसर ऑर्गेनाईजेशन अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रखेगें।

(v) **यंत्र बैंक** अंतर्गत **तीन** प्रकार के समूह में से समूह के लाभार्थी के रूप में किसी एक समूह के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

(vi) समूह 1, 2 एवं 3 के लिए क्रमशः **न्यूनतम 12 (बारह), 14 (चौदह) एवं 15 (पन्द्रह)** यंत्रों का एक साथ क्रय करना होगा, जिसपर अनुमान्य अनुदान देय होगा।

(vii) बीस हजार (रू० 20000) रूपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए LPC या अद्यतन मालगुजारी रसीद 2025–26 उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2024–25 या 2023–24 का मालगुजारी रसीद रहने पर भी योजना का लाभ दिया जा सकता है अर्थात 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष का मालगुजारी रसीद जमा करने वाले आवेदक योजना का लाभ ले सकेंगे, हालांकि अद्यतन रसीद नहीं रहने पर संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास/कर्मी के द्वारा सत्यापन करना अनिवार्य होगा।

(viii) बीस हजार एवं बीस हजार से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर LPC या लगान रसीद की अनिवार्यता नहीं होगी। 20 हजार रूपये एवं 20 हजार रूपये से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर गैर–रैयत कृषक (वास्तविक खेतिहर) भी अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(ix) पावर टीलर के लिये सामान्य श्रेणी के कृषक के पास कम से कम 01 (एक) एकड़ जमीन होना अनिवार्य है, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कृषकों के लिए न्यूनतम भू–धारिता 0.5 एकड़ होना अनिवार्य है।

3. अनुदान दर–

लाभुक	अनुदान दर
व्यक्तिगत गन्ना किसान	• यंत्र विशेष पर अनुदान क्रय मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा यंत्र विशेष के लिए निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि देय होगा। • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछडा वर्ग के व्यक्तिगत लाभार्थियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान अर्थात ईकाई लागत समिति द्वारा निर्धारित यंत्रों के मूल्य का अधिकतम 60 प्रतिशत अनुदान देय होगा।
किसान समूह के अधीन गुड़ उद्यमी *(बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम अंतर्गत आच्छादित)*/पैक्स/जीविका समूह/आत्मा से पंजीकृत किसान समूह/फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गेनाईजेशन एवं चीनी मिल	• **गन्ना यंत्र बैंक (समूह 1)** हेतु क्रय मूल्य का 70 प्रतिशत अधिकतम **12.663** (बारह लाख छियासठ हजार तीन सौ) **लाख रू०,** • **गन्ना यंत्र बैंक (समूह 2)** हेतु क्रय मूल्य का 70 प्रतिशत अधिकतम **28.763** (अठाईस लाख छियत्तर हजार तीन सौ) **लाख रू०** एवं • **गन्ना यंत्र बैंक (समूह 3)** – क्रय मूल्य का 70 प्रतिशत अधिकतम **97.363** (सन्तानवें लाख छत्तीस हजार तीन सौ) **लाख रू०** अनुदान देय होगा।

इस योजना के लिए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट–1, 1(A), 1 (B), 1(C) तथा यंत्रवार अनुदान दर की विवरणी **परिशिष्ट–2** के रूप में संलग्न है।

वर्तमान में राज्य स्तर पर यंत्रवार कुल भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। रैण्डमाईजेशन (ऑनलाईन लॉटरी) के उपरांत कार्यालय/चीनी मिलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण किया जायेगा। तत्पश्चात् उस अनुरूप आवंटन आदेश निर्गत किया जाएगा।

4. आवेदन की प्राप्ति–

वैसे कृषक जो अनुदानित दर पर यंत्र क्रय करना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम www.dbtagriculture.bihar.gov.in (DBT Portal) पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। तदोपरांत वे विभागीय केन केयर पोर्टल http://ccs.bihar.gov.in या https://sugarcanemech.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

PDF Scanner ACE Scanner

5. आवेदन की जाँच :–

(i) आवेदन Finalize होने के उपरांत संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के अधीनस्थ जनसेवक/कामदार/कर्मी एवं चीनी मिल के लॉगिन में आवेदन स्वतः अग्रसारित हो जाएगा।

(ii) संबंधित जनसेवक/कामदार/कर्मी 05 (पाँच) दिनों के अन्दर स्थल पर आवेदन की जाँच एवं चीनी मिल के द्वारा गन्ना किसान की सत्यता की जांच कर अपने लॉगिन आई०डी० से जाँच प्रतिवेदन की प्रविष्टि ऑनलाईन की जायगी, जो संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित हो जाएगा।

(iii) तत्पश्चात् संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा अधीनस्थ कर्मी/चीनी मिल के द्वारा किये गये जांच/अनुशंसा के आधार पर प्राप्त आवेदन को अपने स्तर से समीक्षा एवं संतुष्टि के उपरांत दो दिनों के अन्दर Fit For Randomization हेतु अनुशंसा की जायेगी, जो मुख्यालय (Admin) को अग्रसारित हो जाएगा।

(iv) उपर्युक्त निर्धारित अवधि के अंदर यदि आवेदन की जाँच नहीं कराई जायेगी, तो आवेदन स्वतः अग्रसारित हो जाएगा। आवेदन स्वतः अग्रसारित (ऑटो फॉरवर्ड) होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि आवेदन सही है तथा किसी तरह की गड़बड़ी के लिए संबंधित कर्मी/पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे एवं नियमानुसार कार्रवाई के भागी होगें।

(v) आवेदन जाँच की प्रक्रिया अधिक से अधिक 07 दिनों में निश्चित रूप से पूरी की जायेगी। यह जाँच किसान के निवास स्थल पर जाकर की जायेगी। अन्य बातों के अतिरिक्त यह देखा जायेगा कि आवेदक किसान हैं या नहीं तथा उन्हें सचमुच कृषि उपकरण की आवश्यकता है या नहीं तथा मांग किया गया यंत्र पूर्व में उन्हें अनुदानित दर पर उपलब्ध हुआ है या नहीं। सहायक निदेशक, ईख विकास के स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि कृषि यंत्र के लिए प्राप्त आवेदन की जाँच शत–प्रतिशत हो गई है। अयोग्य आवेदनों को कारण सहित अस्वीकृत किया जायेगा। लक्ष्य के अनुसार ऑनलाईन आवेदन सृजित करने एवं इसकी ससमय जाँच की समीक्षा मुख्यालय द्वारा समय–समय पर की जायेगी।

(vi) Fit For Randomization हेतु प्राप्त आवेदन का योजनांतर्गत वित्तीय लक्ष्य के अधीन यंत्रवार/समूह के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से मुख्यालय स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति के द्वारा रैण्डमाईजेशन (ऑनलाईन लॉटरी) के माध्यम से आवेदनों का चयन किया जाएगा।

6. आवेदन की स्वीकृति एवं स्वीकृति पत्र का वितरणः–

(i) रैण्डमाईजेशन (ऑनलाईन लॉटरी) के माध्यम से चयनित आवेदकों को स्वीकृति पत्र सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा ऑनलाईन निर्गत किया जायेगा।

(ii) स्वीकृति पत्र के निर्गत के **14 दिनों** के अंदर किसानों को पोर्टल पर सूचीबद्ध यंत्र विक्रेता से यंत्र का क्रय करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर स्वीकृति पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(iii) लक्ष्य पूर्ण नहीं होता है, तो पुनः उपरोक्त प्रक्रिया दोहराई जायेगी। आवश्यकतानुसार शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन भी प्राप्त किया जा सकता है।

7. अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का क्रय :–

(i) स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के उपरांत आवेदक किसान/समूह गन्ना उद्योग विभाग के विभागीय पोर्टल http://ccs.bihar.gov.in / https://sugarcanemech.bihar.gov.in पर Enlisted अधिकृत विक्रेताओं में से कृषक मेला या मेले से बाहर अपनी पंसद तथा कीमत का मोल–भाव कर स्वीकृति पत्र में अंकित निर्धारित तिथि के अन्दर विभागीय पोर्टल http://ccs.bihar.gov.in / https://sugarcanemech.bihar.gov.in पर सूचीबद्ध यंत्र (मेक/मॉडल) का क्रय कर सकेंगे। कृषि यंत्रों हेतु किसान अनुदान की राशि काटकर शेष राशि (कृषक अंश) का भुगतान कर सम्बंधित विक्रेता से यंत्र क्रय कर सकेंगे।

(ii) यंत्र की बिक्री के बाद डीलर द्वारा बिक्री की सूचना विभागीय पोर्टल पर Upload करना अनिवार्य होगा।

(iii) ऐसे यंत्र डीलर, जो कृषि यंत्रों के बिक्री हेतु किसी एक जिला में Registered एवं Approved है, उन्हें राज्य के अन्य जिलों में भी कृषि यंत्रों की बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(iv) चयनित किसान/समूह द्वारा कृषक अंश का भुगतान केवल बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, Online Transaction, Digital Transaction, debit Card, Rupay Card आदि से किया जाना अनिवार्य होगा, नगद भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

(v) यंत्र विक्रेता द्वारा कृषक को विक्रय किये गये यंत्र की सम्पूर्ण राशि का बिल ऑनलाईन अपलोड किया जायेगा। योजनान्तर्गत किसान द्वारा यंत्र क्रय करने पर विक्रेता द्वारा यंत्र के Retail invoice पर उक्त यंत्र के After Sale Service/Complaint हेतु सम्बंधित सर्विस सेन्टर का पता/सर्विस इंजिनियर/मैकेनिक का मोबाईल नं० अंकित करना अनिवार्य होगा ताकि यंत्र के वांरटी/गारंटी अवधि के अन्दर एवं उसके बाद भी यंत्र परिचालन में किसी तरह की कठिनाई/खराबी होने पर किसान द्वारा उक्त मोबाईल नं०/टॉल फ्री नं० पर शिकायत (Complain) दर्ज कराया जा सके। सम्बंधित यंत्र के निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता/विक्रेता द्वारा 48 घंटे के अन्दर किसान के शिकायत का निराकरण सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।

(vi) यंत्र विक्रेता द्वारा ऑनलाईन अपलोड किये गये यंत्र के फोटोग्राफ तथा बिल के विवरणों पर निर्माता द्वारा ऑनलाईन सहमति दी जायेगी। निर्माता द्वारा सहमति देने के उपरांत यह संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के लॉगिन आई०डी० में भौतिक सत्यापन हेतु प्रदर्शित होगा।

8. कृषि यंत्र का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन :–

(i) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास/उनके अधीनस्थ कर्मी द्वारा 04 दिनों के अंदर विक्रेता द्वारा आपूर्ति किये गये यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन के क्रम में संबंधित पदाधिकारी/कर्मी द्वारा किसान के समस्त विवरण एवं बिल में उल्लिखित सामग्री का भौतिक रूप से मशीन के साथ मिलान कर किसान, स्वंय एवं मशीन का फोटो विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

ACE Scanner

(ii) अनुदानित दर पर क्रय किये गये प्रत्येक कृषि यंत्र का भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास/उनके अधीनस्थ कर्मी के द्वारा किसान के घर जाकर किया जायेगा। किसान के घर जाकर भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन के लिए कैश–मेमो पर उल्लिखित इंजन/यंत्र संख्या के अनुसार भौतिक सत्यापन करेंगे तथा क्रय किये गए यंत्रों के साथ लाभान्वितों एवं जांचकर्ता का फोटो लेंगे एवं विहित प्रपत्र में भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन प्रतिवेदन की ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

(iii) आपूर्ति यंत्र के मुख्य हिस्से में किसान का रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं विक्रय का वित्तीय वर्ष Engraved/Emboss है या नहीं, इसकी जाँच करना आवश्यक है। भौतिक सत्यापन के समय संबंधित पदाधिकारी/कर्मी द्वारा यंत्र का फोटोग्राफ इस तरह लेना होगा कि उक्त अंकित रजिस्ट्रेशन नं०/वर्ष स्पष्ट रूप से फोटो में पठनीय हो।

(iv) किसान का रजिस्ट्रेशन नं० एवं यंत्र आपूर्ति का वित्तीय वर्ष यंत्र आपूर्ति के समय इन्ग्रेभ्ड करना अनिवार्य होगा, जिसे संबंधित निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता/विक्रेता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन नं० इन्ग्रेभ्ड किये बिना किसी भी यंत्र पर अनुदान देय नहीं होगा। Engraving इस प्रकार का होना चाहिए जो अमिट हो तथा जाँच के लिए किसी भी समय पठनीय हो। Engraving यंत्र के मुख्य हिस्से में करना अनिवार्य होगा।

(v) प्लास्टिक से सम्बंधित कृषि यंत्र यथा स्प्रेयर में किसान का रजिस्ट्रेशन नम्बर engraved/embossed करने में कठिनाई होगी। इस यंत्र में सीरियल नम्बर होना चाहिए तथा यंत्र के Body पर किसान का रजिस्ट्रेशन नं० एवं विक्रय का वर्ष पेन्ट करना होगा। भौतिक सत्यापन के समय संबंधित पदाधिकारी/कर्मी द्वारा यंत्र का फोटोग्राफ इस तरह लेना होगा कि उक्त अंकित रजिस्ट्रेशन नं०/वर्ष स्पष्ट रूप से फोटो में पठनीय हो। किसी प्रकार की अनियमितता में संलिप्त होने पर संबंधित कर्मी/पदाधिकारी/ विक्रेता/ आपूर्तिकर्त्ता/ किसान के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

9. अनुदान भुगतान की प्रक्रिया :–

(i) भौतिक सत्यापन के उपरांत कृषि यंत्रों पर अनुदान का दावा पत्र सम्बंधित यंत्र विक्रेता द्वारा ऑनलाईन सृजित कर मूल अभिश्रव के साथ संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को समर्पित किया जायेगा, जिसका संधारण संबंधित कार्यालय के योजना सहायक द्वारा किया जायेगा।

(ii) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा अनुदान की राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से 03 दिनों के अन्दर संबंधित कृषि यंत्र निर्माता के बैंक खाते में अन्तरित किया जायेगा तथा अनुदान भुगतान के पश्चात् 24 घंटे के अंदर **यंत्रवार अनुदान राशि एवं UTR No./Transaction ID का विस्तृत ब्यौरा विभागीय पोर्टल http://ccs.bihar.gov.in / https:// sugarcanemech.bihar.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जायेगा।**

ACE Scanner

10. योजना का अनुश्रवणः–

(i) योजना का अनुश्रवण निम्न अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाएगा–

1.	ईखायुक्त, बिहार	अध्यक्ष
2.	संयुक्त निदेशक, ईख विकास	सदस्य सचिव
3.	संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना	सदस्य
4.	निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा नामित वैज्ञानिक	सदस्य
5.	निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा नामित वैज्ञानिक	सदस्य

(ii) समिति के द्वारा अनुश्रवण के साथ–साथ योजना कार्यान्वयन एवं सूत्रण के संबंध में समय–समय पर निर्णय लिया जा सकेगा।

(iii) **गन्ना यंत्र बैंक का परिचालन–** गन्ना की खेती में लघु तथा सीमान्त किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र सुलभ कराने के उद्देश्य से " गन्ना यंत्र बैंक " की स्थापना की जायेगी। इस " यंत्र बैंक " में सभी प्रकार के आधुनिक यंत्र उपलब्ध होगें। किसान " यंत्र बैंक " से किराया पर यंत्र लेकर उपयोग गन्ना की खेती में कर सकेगें। यंत्र बैंक की स्थापना चीनी मिल के स्तर पर भी की जा सकेगी।

(iv) इस योजना के अंतर्गत क्रय किये गये यंत्रों के उपयोग के संबंध में निम्न अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) इस योजना अंतर्गत क्रय किये गये कृषि यंत्र को पांच वर्ष तक संधारित किया जायेगा। इस बीच न तो यंत्र को बेचा जायगा नही किसी को हस्तांतरित किया जायेगा।

(ख) यंत्र बैंक स्थापित करने वाले समूह के द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जाएगा, जिसमें यंत्रों को भाड़े पर लेने वाले किसानों का नाम, पता, तिथि के साथ अवधि, मोबाईल नं0 एवं भुगतान की जाने वाली राशि का ब्यौरा अंकित किया जाएगा।

(ग) यंत्र बैंक के किसी भी यंत्र को समूह द्वारा कम से कम पांच वर्ष तक कार्यशील रखा जाएगा। इस बीच न तो यंत्र को बेचा जायगा नही किसी को हस्तांतरित किया जायेगा। संबंधित सहायक निदेशक यंत्र बैंक में उपलब्ध यंत्रों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से करेंगे।

(घ) यंत्र बैंक के संचालक के द्वारा प्रत्येक यंत्र के लिए दुसरे किसानों को उपयोग के लिए किराया दर निर्धारित किया जायेगा जो बाजार मूल्य से कम होगा। किराया मूल्य की सूचना कृषि यंत्र बैंक के परिसर में प्रदर्शित की जायेगी तथा इसकी सूचना संबंधित सहायक निदेशक को दी जायेगी।

(ङ) सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा पंजी में निरीक्षण की तिथि एवं मंतव्य अंकित किया जाएगा।

(च) अगर लाभुक द्वारा उपरोक्त शर्तो का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सहायक निदेशक, ईख विकास वैधिक कार्रवाई करेगें।

PDF Scanner ACE Scanner

11. कृषि यंत्रों की सूचीबद्धता :–

(i) योजना के तहत सभी यंत्रों में से जो कृषि यंत्र निर्माता कृषि विभाग, बिहार के OFMAS Portal पर पूर्व से सूचीबद्ध हैं, वैसे कृषि यंत्र निर्माताओं को सीधे विभागीय पोर्टल http://ccs.bihar.gov.in / https:// sugarcanemech.bihar.gov.in पर Empanelled कर दिया जाएगा।

(ii) बिहार के अन्दर एवं राज्य के बाहर के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित वैसे कृषि यंत्र, जो भारत सरकार द्वारा चिन्हित संस्थान यथा FMTTI/SAUs/BIS/CIPET द्वारा परीक्षित एवं प्रमाणित हो, की सूचीबद्धता ऑनलाईन पद्धति से किया जायेगा। ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हेतु इच्छुक निर्माता, जो बिहार राज्य के कृषकों को अनुदान योजना के तहत यंत्र वितरण करना चाहते है, वे बिहार सरकार गन्ना उद्योग विभाग के पोर्टल http://ccs.bihar.gov.in / https:// sugarcanemech.bihar.gov.in पर सूचीबद्धता हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। जो पूर्व से कृषि विभाग के OFMAS Portal पर ऑनलाईन सूचीबद्ध हो चुके हैं, उन्हें पुनः सूचीबद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(iii) सूचीबद्धता हेतु प्राप्त आवेदन की जाँच कृषि विभाग, बिहार द्वारा OFMAS अंतर्गत गठित सूचीबद्धता समिति जिसमें गन्ना उद्योग विभाग के एक नामित सदस्य सम्मिलित होगें, के द्वारा की जाएगी। समिति में गन्ना उद्योग विभाग की ओर से संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना सदस्य के रूप में होगें। समिति द्वारा अनुशंसित कृषि यंत्रों के निर्माता की सूची पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर पोर्टल पर Empanelled कर दिया जाएगा।

(iv) गन्ना यंत्रिकरण योजना में शामिल होने के लिए कृषि यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से परीक्षित/प्रमाणित एवं विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन सूचीबद्ध होना आवश्यक है।

(v) कृषि यंत्र निर्माता एवं उनके द्वारा निर्मित यंत्र/मेक/मॉडल के ऑनलाईन सूचीबद्धता की प्रक्रिया कृषि विभाग के OFMAS Portal के अनुरूप होगा।

(vi) संयुक्त निदेशक, ईख विकास, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्माताओं से प्राप्त अभिलेखों/टेस्ट रिपोर्ट्स की प्रारंभिक जाँच कर कृषि विभाग के सूचीबद्धता समिति को प्रस्ताव के साथ उपस्थापित करेंगे।

(vii) सूचीबद्धता समिति द्वारा जाँचोपरांत यंत्रों को सूचीबद्ध करने की अनुशंसा की जायेगी। तदोपरांत निर्धारित समय–सीमा के अंदर संयुक्त निदेशक, ईख विकास, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा यंत्रों के मेक/मॉडल को SUMECH में प्रविष्ट करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) आलोच्य वर्ष में डीलरों को निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किये जा रहे यंत्रों की संख्या एवं यंत्रों से सम्बंधित विस्तृत विवरणी की प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा। आपूरित यंत्रों की ऑनलाईन प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बंधित डीलर अनुदान पर यंत्रों का वितरण कर सकेंगे। अवहेलना की स्थिति में उनकी सूचीबद्धता रद्द कर दी जायेगी।

(ix) कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा सभी यंत्रों के मुख्य भाग पर engraved/embossed सीरियल नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में निर्माता अथवा उनके आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अमानक यंत्र की आपूर्ति नहीं की जायेगी।

PDF Scanner ACE Scanner

(x) संबंधित यंत्र के आपूर्तिकर्त्ता/विक्रेता को पर्याप्त संख्या में स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसानों को अविलम्ब स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध हो सके। समय–समय पर इसकी जाँच संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा की जायेगी।

(xi) सभी कृषि यंत्र निर्माता द्वारा अपने डीलरों के विभिन्न प्रकार के यंत्रों के Opening स्टॉक को अनिवार्य रूप से सॉफ्टवेयर में डालकर ऑनलाईन किया जायेगा। इसके बाद इनके द्वारा नियमित रूप से इसे अपडेट भी किया जायेगा।

12. प्रचार–प्रसार :–

(i) मुख्यालय एवं संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय द्वारा योजना के संबंध में समाचार पत्र/सोशल मिडिया इत्यादि के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाएगा।

(ii) संबंधित यंत्रों का प्रचार–प्रसार जिलों के सहायक निदेशक, ईख विकास/उप निदेशक, ईख विकास/ईख पदाधिकारी एवं संबंधित जनसेवक/कर्मी द्वारा किया जायेगा तथा लक्ष्य के अनुसार आवेदन सृजित किया जायेगा।

13. लेखा का संधारण :–

अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये गये यंत्रो का लेखा संधारण योजनावार/कोटिवार किया जायेगा। किसानों को दिये जाने वाले स्वीकृति पत्र जिस योजना के विरूद्ध दिये जा रहे हैं, उन्हें उसी योजना की पंजी में एक साथ संधारित किया जायेगा।

14. धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गयी अनुदान की राशि की वसूली एवं दण्डात्मक कार्रवाई :–

(i) भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन/जाँच की प्रक्रिया में अगर ऐसा पाया जाता है कि किसान के पास क्रय किया गया कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं है या किसी प्रकार की गलत सूचना देकर अनुदान प्राप्त किया गया था तो किसान से अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी एवं उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ii) जाँच के क्रम में यदि पाया जाता है कि कृषि यंत्रों के निर्माता/विक्रेता द्वारा अमानक यंत्र कृषकों को उपलब्ध कराये गये हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित निर्माता/विक्रेता पर सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा तुरंत प्राथमिकी दर्ज करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी तथा अमानक यंत्रों की आपूर्ति करने/यंत्र क्रय किये बिना अनुदान प्राप्त करने या भुगतान करने/अपात्र लाभूकों को अनुदान वितरण करने की स्थिति में दोषी कर्मी/पदाधिकारी/आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध संबंधित पदाधिकारी द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

15. अनुश्रवण –

(i) सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा यंत्रावार अनुदान राशि का विस्तृत ब्यौरा अनुदान भुगतान के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर ऑनलाईन SUMECH सॉफ्टवेयर के Subsidy Release Menu में अपडेट करना होगा।

(ii) **विभागीय पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन** :– बिहार में वितरित किये गये गन्ना यंत्रो के 10 प्रतिशत यंत्र का संयुक्त निदेशक, ईख विकास द्वारा, अपने क्षेत्रांर्गत कार्यालयों द्वारा वितरित यंत्रो का 20 प्रतिशत उप निदेशक, ईख विकास द्वारा तथा वितरित किये गये गन्ना यंत्रो के 25 प्रतिशत यंत्र का संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा किसानों के घर पर जाकर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार भौतिक सत्यापन की जाँच की जायेगी। संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के जनसेवक/कर्मी द्वारा शत–प्रतिशत कृषि यंत्रों का जाँच किया जाएगा।

(iii) जनसेवक/कर्मी को छोड़कर उपरोक्त संबंधित सभी पदाधिकारी के द्वारा जाँचोपरान्त जाँच प्रतिवेदन SUMECH Software में Upload किया जायेगा, जिसमें स्पष्ट मंतव्य अभ्युक्ति कॉलम में अंकित रहे।

(iv) योजना कार्यान्वयन में प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अन्दर यथाआवश्यक संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

(v) जिला स्तर पर सहायक निदेशक, ईख विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होगें तथा ईखायुक्त, बिहार योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होगें।

16. अन्यान्य :–

1. किसी भी परिस्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति हेतु कर्णांकित राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।
2. संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास फर्मवार/यंत्रवार अनुदानित दर पर वितरित यंत्र पर नियमानुसार GST की कटौती की सत्यता की जाँच हेतु जिला के वाणिज्य–कर कार्यालय को सूचना प्रत्येक माह की समाप्ति पर देंगे तथा पूरे वर्ष का एक समेकित सूचना वित्तीय वर्ष के अंत में संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास वाणिज्य–कर कार्यालय को देंगे ताकि क्रॉस चेकिंग हो सके।
3. संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास/उप निदेशक, ईख विकास यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला में सूचीबद्ध कृषि यंत्र विक्रेता द्वारा बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर कृषि यंत्र का विक्रय नहीं किया जा रहा हो।
4. प्रत्येक कृषि यंत्र विक्रेता के स्टॉक तथा बिक्री पंजी एवं कैश मेमो का निरीक्षण संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास/उप निदेशक, ईख विकास द्वारा किया जायेगा। इसमें प्रतिवेदित मूल्य की तुलना बाजार मूल्य से की जायेगी। यह निरीक्षण प्रत्येक माह में किया जायेगा। फलाफल से संबंधित प्रतिवेदन संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना एवं ईखायुक्त, बिहार को भेजी जायेगी।
5. स्वीकृत्यादेश में जिन यंत्रों पर अनुदान देय है, उन्हीं यंत्रों पर अनुदान देय होगा। उसके अतिरिक्त किसी भी यंत्र पर अनुदान देय नहीं होगा।

17. गन्ना यंत्रिकरण योजना का सामान्य अनुदेश :–

i. सहायक निदेशक, ईख विकास, जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं की एक बैठक करायेंगे जिसमें गुणवता युक्त कृषि यंत्रों को उचित मूल्य पर बिक्री करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। सहायक निदेशक, ईख विकास यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाले कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके।

ii. सहायक निदेशक, ईख विकास/उप निदेशक, ईख विकास यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला में सूचीबद्ध कृषि यंत्र विक्रेता द्वारा बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर कृषि यंत्र का विक्रय नहीं किया जा रहा हो।

ACE Scanner

iii. अगर यंत्र निर्माता द्वारा यंत्रों पर कोई क्रमांक उत्कीर्ण नहीं किया गया है तो यंत्रों पर संख्या *Engrave* कराने की जिम्मेवारी विक्रेता की होगी, जिसे सहायक निदेशक, ईख विकास सुनिश्चित करायेंगे।

iv. प्रत्येक कृषि यंत्र विक्रेता के स्टॉक तथा बिक्री पंजी एवं कैश मेमो का निरीक्षण सहायक निदेशक, ईख विकास/उप निदेशक, ईख विकास द्वारा किया जायेगा। इसमें प्रतिवेदित मूल्य की तुलना बाजार मूल्य से की जायेगी। यह निरीक्षण प्रत्येक माह में किया जायेगा। फलाफल से संबंधित प्रतिवेदन ईखायुक्त, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, ईख विकास को भेजी जायेगी।

v. यंत्र विक्रेता जिस बैंक खाते से निर्माता को भुगतान करते हैं उस खाता का बैंक स्टेटमेंट लिया जायेगा, ताकि यह जानकारी हो पाये कि खाते से केवल नगदी लेन–देन हो रहा है या किसी निर्माता को भुगतान भी किया जा रहा है। यदि किसी प्रकार का संदेह पाया जाता है तो इस संबंध में तुरन्त कारवाई प्रारम्भ की जायेगी। यह कारवाई संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा की जा सकती है।

vi. सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा ससमय प्रगति प्रतिवेदन गन्ना उद्योग विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

29/6/2025

ईखायुक्त, बिहार।

PDF Scanner ACE Scanner